समान नागरिक संहिता : समिति नागरिकों से लेगी सुझाव

- जिलों में जाएगी उच्च स्तरीय समिति
- आगामी 15 जून तक सुझाव दिए जा सकेंगे

नवभारत न्यूज

भोपाल 22 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रदेश में प्राप्त सुझावों के संकलन के लिए की गई पहल सराहनीय है.जनता के मत प्राप्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी.

जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से यह कार्य आसान होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया.इस तरह की वेबसाइट के निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों को वेबसाइट के निर्माण के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस संबंध में कार्य प्रारंभ हुआ है.स्वतंत्रता के बाद से ही इस तरह के कार्य की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी.नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक विधि के समग्र अध्ययन की जरूरत है.जन सामान्य, राजनीतिक दल, गैर शासकीय संगठन आदि इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे, जिनका सम्मान करते हुए विचार मंथन होगा.सभी सुझावों का संकलन भी किया जाएगा. जन परामर्श के उद्देश्य से समिति ने वेबसाइट का निर्माण कर महत्वपूर्ण कार्य किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक राष्ट्र, एक विधान,एक निशान के महत्व को समझते हुए इसके अलावा एक विधि के लिए आवश्यक दायित्व पूर्ण करेगा.निश्चित ही यह जन हितैषी कार्य है.इस नाते गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति बधाई की पात्र है.राज्य शासन द्वारा विवाह, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य परिवार संबंधित कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाएगा.

इस उद्देश्य से ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.इस अवसर पर समिति द्वारा जन परामर्श के उद्देश्य से निर्मित की गई वेबसाइट पर जनमानस से सुझाव सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे.सुझाव देने की अंतिम तिथि 22 मई से आगामी 15 जून तक निर्धारित की गई है.वेबसाइट लांच किए जाने के अवसर पर समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती प्रकाश रचना देसाई ने भी वर्चुअली संबोधित किया.समिति के सचिव अजय कटेसरिया ने समिति के कार्यों का विवरण दिया.बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में मनाया जायेगा गंगा दशहरे का पर्व

भोपाल.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में क्षिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जायेंगे .जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेशभर में वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे .प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरियां, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण-पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जायेंगी. भारत भवन, भोपाल में 'सदानीरा' का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जायेगा .राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं.

सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करें

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऊर्जा उत्पादन के पारम्परिक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए राज्य में सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए .किसानों के लिए सोलर पम्प और गांव से लेकर शहर तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए .मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कार्यों की बैठक में समीक्षा कर रहे थे . मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए प्रमुख नवाचारों की प्रशंसा की .बैठक में बताया गया कि गत ढाई वर्ष में प्रदेश में ड्रोन आधारित पेट्रोलिंग का नवाचार सफल हुआ है .इससे विद्युत लाइन ट्रिपिंग को 35 प्रतिशत कम करने और 220 केव्ही के लगभग 10 हजार टॉवरों के टॉप पेट्रोलिंग के कार्य में सफलता मिली है . इसी तरह वर्तमान में 400 और 132 केव्ही के 23 हजार टॉवरों के टॉप पेट्रोलिंग का कार्य ड्रोन द्वारा किया जा रहा है . इंसूलेटेड वर्क प्लेटफार्म का नवाचार भोपाल, जबलपुर, इंदौर और दमोह में किया गया .लाइनमैन द्वारा चालू लाइन में ही वेयर हेन्ड तकनीक और हॉट लाइन स्टिक तकनीक का कार्य इससे संभव होता है .गत वर्ष चालू लाइन में 257 परिचालन किए गए .परिचालन कर्मियों और प्रशिक्षु इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए परिचालन सिम्युलेटर स्थापित किया जा रहा है . बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी ने विश्वसनीय संचालन का प्रमाण देते हुए विद्युत गृहों द्वारा लगातार विद्युत उत्पादन किया गया है .गत 14 जनवरी को 19 हजार 895 मेगावॉट की सफलतापूर्वक पूर्ति इतिहास की सर्वाधिक पूर्ति है .ट्रांसमिशन कम्पनी का हानियां भी 2 .60 प्रतिशत ही हैं .इसी तरह पारेषण उपलब्धता का प्रतिशत 99 .52 है।

तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ों का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 22 मई. वन परिक्षेत्र बैरसिया में अंतर्गत 4 लघु वनोपज समितियों में 62 फड़ों पर तेंदूपत्ता का संग्रहण जारी है. इनमें बैरसिया, दामखेड़ा, भोजापुरा एव गुनगा शामिल है.

वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय सिह राजपूत ने तेंदूपत्ता फड़ों का सतत निरीक्षण कर समिति प्रबंधकों और फड़ मुंशियों को गुणवत्ता युक्त तेंदूपत्ता लेने के निर्देश दिए . राजपूत ने नवभारत से चर्चा में बताया कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 6710 मानक बोरा है. 21 मई तक 4385 मानक बोरा हो चुका है. सरकार ने तेंदूपत्ता की दर 4 हजार रुपए मानक बोरा रखी है.

तेंदूपत्ता की गुणवत्ता परखने के लिए उप वनमंडल अधिकारी धीरज सिह चौहान भी निरीक्षण कर रहे हैं.निरीक्षण दौरान रेंजर संजय सिह राजपूत तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार की संचालित योजना मृत्यु दावा , हितलाभ , एकलव्य योजना आदि के प्रति जागरूक कर रहे हैं.

प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना 24 मई तक होगी

भोपाल. प्रदेश व्यापी ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना 22 से 24 मई तक सूर्योदय से प्रात: 9:00 बजे तक होगी. गिद्ध गणना का कार्य वन विभाग के अतिरिक्त स्वंय सेवकों के सहयोग से ऑनलाइन एप के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों के संकलन में आसानी रहेगी. मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की शुरूआत वर्ष 2016 से की गई थी जिसमें 7,028 गिद्धों का आंकलन किया गया था.

समन्वय बढ़ाकर कार्य करे खाद्य विभाग

भोपाल, 22 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य विभाग अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित कर उपभोक्ता हित में कार्य करे .खाद्य विभाग ने अनेक नवाचार किए हैं जिनका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है .नवाचारों और उपभोक्ता हित का कार्य निरंतर किया जाए .मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे . मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण मार्ट के रूप में उन्नयन किया है . इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मोबाइल पर संदेश भेजकर राशन प्रदाय और वितरण की सूचना देने का प्रावधान किया गया है .यह नवाचार उपभोक्ताओं के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है .मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ता के रूट ऑप्टिमाइजेशन के कार्य से परिवहन लागत में सरकार को 42 लाख रुपए प्रति माह की बचत हुई .

सचिवालय से अपने निवास तक पैदल गए मंत्री राजपूत

भोपाल, 22 मई. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अनुशासित जीवनशैली और सादगी का प्रेरणादायक संदेश दिया. राजपूत मुख्यमंत्री सचिवालय से अपने शासकीय निवास सी-2, 74 बंगले तक पैदल पहुंचे.

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाकर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को आंदोलन का रूप दें.उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पैदल चलने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने का प्रयास करने की भी अपील की.

राजपूत ने कहा कि भागदौड़ भरी जीवनशैली और लगातार बढ़ते तनाव के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है.नियमित पैदल चलना न केवल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है.

पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण

भोपाल. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा भोपाल, मंडला, अशोकनगर, खंडवा, रीवा, नीमच एवं निवाड़ी में औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में 34 कार्यों का रेंडम आधार पर चयन कर परीक्षण किया गया.

असंगठित कामगारों की अनदेखी का आरोप

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस विभाग का प्रदेशस्तरीय सम्मेलन

- नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा
- सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताया

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने और श्रमिकों की समस्याओं को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया .सम्मेलन को डॉ. संजय कामले, महेंद्र जोशी और डॉ. महेंद्र सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया.

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस विभाग का प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर मजदूरों, कर्मचारियों और कमजोर वर्गों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

एक दिवसीय सम्मेलन में प्रदेशभर से विभाग के पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए.कार्यक्रम में अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदित राज, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे. सम्मेलन में असंगठित कामगारों, मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और श्रमिकों के कथित शोषण को लेकर भी नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा.विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए.

सभा को संबोधित करते हुए उदित राज ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही हैं.उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में असंगठित मजदूरों का शोषण बढ़ा है और कांग्रेस हमेशा कमजोर वर्गों की आवाज उठाती रही है. उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को 'मजदूर विरोधी' बताते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक श्रमिकों के मुद्दे उठाती रहेगी.

तस्करी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

भोपाल. प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेल नेटवर्क के जरिये दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी में शामिल संगठित गिरोह के आरोपी परवेज खान और दीपक पारखे की प्रथम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खारिज कर दी गई है.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम HARWINDER KHATRI था। जिसे बदलकर नया नाम ANU KAURA कर दिया है मुझे ANU KAURA W/O RAVI KUMAR KAURA नाम से जाना पहचाना जाऐं। सही नाम

अनु कौड़ा
वार्ड नं. 9, कटंगी,
बालाघाट (म.प्र.)

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E- mail:- srmmp.fci@nic.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2026/18 दिनांक : 23.05.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है ।

किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

पश्चिम मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं. भोपाल/टीआरडी/ड्राइंग/डब्ल्यू.सी./482 दिनांक: 20.05.2026

वरि मंडल विद्युत इंजी./टीआरडी/पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 11:00 बजे तक ई-टेन्डर आमंत्रित करते है। संपुर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.irpes.gov.in पर उपलब्ध है, इस टेन्डर के लिये कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नही है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **निविदा क्र.:** बीपीएल/ टीआरडी/डीआरजी/डब्ल्यू सी/482, **कार्य का विवरण:** प्रोविजन ऑफ 10 KVA AT फॉर एल-सी गेट्स नंबर 146, 131 एंड 136 इन बिटवीन रूठियाई-मक्सी सेक्शन ऑफ भोपाल डिवीजन, **कार्य समाप्त करने की अवधि:** 6 माह, **अनुमानित लागत रू. में:** 2869662.28, **ईएमडी रू. में:** 57400.00, **जमा करने की अंतिम तारीख एंव समय:** 15.06.2026 को 11.00 बजे तक।

वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर, टीआरडी, पमरे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
Tower-F, NBCC World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

भादूविप्रा TRAI

रिक्ति परिपत्र संख्या : 01/2026-27

सूचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद/ कोलकाता/ भोपाल/ बेंगलुरू में परामर्शदाता - निजी सचिव (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में.

भादूविप्रा (मुख्यालय) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद/कोलकाता/भोपाल/बेंगलुरू में अनुबंध के आधार पर एक परामर्शदाता [सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ((निजी सचिव)) को नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है.

2. नियुक्ति हेतु विस्तृत नियम और शर्तें, योग्यता तथा अनुभव ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है. इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से URL: https://vacancies.trai.gov.in पर भेज सकते हैं. ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 जून 2026 है.

सीबीसी-06202/12/0014/2627

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वीर सावरकर जोन क्र.-04 (मंगलवारा)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भोपाल जोन क्र. 04 के वार्ड क्र.-17 में स्थित वर्गीकृत बाजार न्यू कबाड़खाना के भूखण्ड क्र.179/180 का नामान्तरण किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन किया जाना है. जिनके नामों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जोन क्र.	वार्ड क्र.	आवंटी का नाम	स्थान एवं भूखण्ड	आकार	नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदक का नाम	नामांतरण का आधार
1	4	17	श्री यासीन आत्मज श्री अब्दुल गनी	भूखण्ड क्र.-179 वर्गीकृत बाजार भूखण्ड क्र.-180 वर्गीकृत बाजार	20×60=1200 वर्गफुट 20×60 =1200 वर्गफुट कुल योग 2400 वर्गफुट	1. श्रीमती हफीजन बी पत्नी श्री मोहम्मद यासीन 2. श्री मो. फारुक 3. श्री मो. इकबाल 4. श्री मो. खालिद 5. मो. सादिक 6. श्री अंजुमा बानो 7. श्रीमती जरीना एवं 8. श्रीमती कमरुन निशा पुत्र एवं पुत्रीगण श्री मोहम्मद यासीन	आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बयान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपरोक्त भूखण्ड के नामांतरण पर किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना पत्र के 15 दिवस के भीतर जोन कार्यालय क्र. 04 वार्ड क्र.-17 के कार्यालय में शपथ पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करें. नियत समयावधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रकरण में विधिवत नामांतरण हेतु कार्यवाही कर दी जावेगी.

जोनल अधिकारी
जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 4
नगर पालिक निगम भोपाल

सू.क्र. 223/026/027

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की सफाई का दावा गलत

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के भ्रामक बयान की संगठनों ने की निंदा

नवभारत न्यूज

भोपाल, 22 मई. यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे 4 संगठनों ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा दिए गए उस दावे का कड़ा खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के 'पूरे जहरीले कचरे' की सफाई हो चुकी है. संगठनों ने इस दावे को झूठा और भ्रामक बताया.

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी ने कहा, मंत्री का दावा सच्चाई से बहुत दूर है. वास्तविकता यह है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से 400 मीट्रिक टन से भी कम जहरीला कचरा हटाया गया है.सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह भोपाल में फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर दबे कुल खतरनाक कचरे का मात्र 1 प्रतिशत है.

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने याद दिलाया कि, 'स्वयं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 19 जून 2023 को एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि बंद पड़ी फैक्ट्री और उसके आसपास मौजूद प्रदूषण के आकलन और उपचार का कार्य अभी लंबित है. भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री परिसर और उसके आसपास दबे खतरनाक कचरे ने बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 4 किलोमीटर दायरे तक के भूजल को प्रदूषित कर दिया है.

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की नसीरीन बी ने कहा कि भोपाल में जारी इस पर्यावरणीय आपदा के प्रति राज्य और केंद्र सरकारों की प्रतिक्रिया दिसंबर 1984 की गैस त्रासदी के समय की प्रतिक्रिया से भी बदतर है, और यह केवल सरकारी झूठों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है. उन्होंने आगे कहा, जिस राज्य सरकार के पास यह जमीन है, उसने आज तक पर्यावरणीय क्षति के लिए यूनियन कार्बाइड या उसकी मालिक डॉव केमिकल से मुआवजा मांगने की पहल नहीं की है.

संख्या- Q-15014/01/2023-CPA

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वितीय तल, पृथ्वी विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली

विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में दो (02) पूर्णकालिक (तकनीकी) सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, दिल्ली में दो (02) पूर्णकालिक सदस्य (तकनीकी) के पदों पर चयन एवं नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) के अंतर्गत की गई है. उक्त सदस्य पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा.

3. विस्तृत विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट https://moef.gov.in तथा CAQM की वेबसाइट https://caqm.nic.in पर उपलब्ध है.

(पी.वी. पिल्लई) निदेशक (सीपी)
दूरभाष: 011-20819195

CBC 13101/11/0003/2627 **ई-मेल: v.pazhaniyandi@nic.in**

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) की स्थापना की है. इस बोर्ड की स्थापना एक निगमित निकाय के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है.

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) को एक 'डिजिटल-बाय-डिजाइन' संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कुशल, पारदर्शी और तकनीक सक्षम शासन सुनिश्चित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है .इसे व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन और गैर-अनुपालन के मामलों की जांच करने, शमन और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित निर्देश जारी करने तथा डीपीडीडी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए डीपीडीडी नियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक दंड लगाने का अधिकार है.

बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं.

अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन प्रारूप, पात्रता शर्तें, आवश्यक योग्यताएं, वेतन और भत्ते तथा अन्य विवरणों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.meity.gov.in पर लॉग ऑन करें.

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, उप सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 के पास पहुंच जाना चाहिए. [p.victor@nic.in]

CBC 06101/11/0006/2627

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच के समक्ष
कंपनी योजना याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)2026
संबद्ध
कंपनी योजना आवेदन सं. CA(CAA)/1(MP)2026
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
तथा
एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएनः L23109MP1972PLC008290 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीदीप, भोपाल के निकट, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश – 462 046, भारत स्थित है। .... कंपनी/प्रथम याचिकाकर्ता कंपनी/विविलयित कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी

एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U23994MP2024PLC071568 है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल, हुजूर, मध्य प्रदेश – 462046, भारत स्थित है। .... द्वितीय याचिकाकर्ता कंपनी/परिणामी कंपनी

भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): U35100MP2006PLC071693 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय C/o एचईजी लिमिटेड, एनएच-12, जिला रायसेन, भोपाल के निकट, मंडीदीप, भोपाल – 462046, हुजूर, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है। .... तृतीय याचिकाकर्ता कंपनी/हस्तांतरक कंपनी

सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" के तौर पर संदर्भित

कंपनी योजना याचिका की सुनवाई की सूचना

याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समग्र व्यवस्था योजना के अनुमोदन हेतु एक कंपनी याचिका दिनांक 12 मई, 2026 को प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर पीठ ("आदेश") ("एनसीएलटी") द्वारा दिनांक 14 मई, 2026 के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया। माननीय श्री ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, माननीय सदस्य (न्यायिक) तथा माननीय श्री मन मोहन गुप्ता, माननीय सदस्य (तकनीकी), एनसीएलटी द्वारा कंपनी याचिका सं. CP(CAA)/3(MP)/2026, में पारित आदेश के अनुसार, उक्त विषय की सुनवाई एवं अंतिम निस्तारण की तिथि, जैसा कि माननीय अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, 04 जून, 2026 है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त कंपनी याचिका का समर्थन अथवा विरोध करना चाहता हो, तो वह अपनी ऐसी मंशा की सूचना, लिखित रूप में, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने पूर्ण नाम एवं पते सहित, याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता श्री रवि पाहवा, पार्टनर, मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स को ravi.pahwa@thakkarandpahwa.com (सॉफ्ट कॉपी में) तथा/अथवा मेसर्स ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स, कार्यालयः 71, न्यूयॉर्क टॉवर – ए, 7वीं मंजिल, मुक्ति धाम देरासर, थलतेज चार रास्ता, अहमदाबाद – 380054 (हार्ड कॉपी में) के समक्ष इस प्रकार प्रेषित करे कि वह उक्त कंपनी याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम-से-कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को प्राप्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध के आधार अथवा उसके शपथपत्र की प्रति भी उक्त सूचना के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकः 23 मई, 2026
स्थानः इंदौर

हस्ताक्षर
रवि पाहवा
पार्टनर
ठक्कर एंड पाहवा एडवोकेट्स
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता